वेदप्रकाश बनाम स्टेट प्र. सं. 90/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 RTA	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/8/25	पत्रावली आज पेशी में ली गई। वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर याचित किया है कि चक 12LLW खाता सं. 160/148 में वादी का नाम बेगराज पुत्र चुन्नीलाल दर्ज रिकॉर्ड है जबकि वादी का सही नाम वेदप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल है इसलिए सही नाम दुरुस्ती किये जाने का निवेदन किया है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व तहसीलदार हनुमानगढ़ से मौका Report तलब की गई। तहसील पत्रांक LR/2025/248 दिनांक 09-07-2025 द्वारा अवगत करवाया गया है कि मजमें आम में पूछताछ में बताया गया कि बेगराज व वेदप्रकाश नामक एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः बेगराज के स्थान पर – वेदप्रकाश दुरुस्त किया जाना उचित बताया है। वादी द्वारा प्रस्तुत तस्दीक सरपंच ग्राम पंचायत जोड़ किया, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि का मिलान किया गया। वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा चक 12LLW खाता सं. 160/148 में दर्ज खातेदार बेगराज के स्थान पर वेदप्रकाश दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। शेष प्रविष्टियां यथावत रहे। आदेश सुनाया जाकर पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। आदेश सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	